07/08/15

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सांचियां में प्रस्तुत हुई। वादी/प्रार्थी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वाद चलाना नहीं चाहता हूं वाद खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी/वादी की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत, सांचियां द्वारा की गई। अतः लोक अदालत की भावना से चाहे अनुसार पर वाद वादी खारिज किया जाकर अभिलेख भेजे जाते हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नकल से पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ